न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 34/2024

अनवान : –

1. सवाई सिंह सिसोदिया पुत्र ओमसिंह सिसोदिया जाति राजपुत निवासी भंगुली तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

<u>**निर्णय**</u> **दिनांकः** -9/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता संख्या 50/3 की कुल 30.5160 हैक्ट भूमि मे से 8929/244128 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम सवाई सिंह पुत्र ओमसिंह दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड आदि में सवाई सिंह सिसोदिया पुत्र ओमसिंह सिसोदिया दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड सवाई सिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम सवाई सिंह सिसोदिया पुत्र ओमसिंह सिसोदिया दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या [illegible] पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम सवाई सिंह सिसोदिया पुत्र ओमसिंह सिसोदिया जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सवाई सिंह पुत्र ओमसिंह दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी

विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम सवाई सिंह सिसोदिया पुत्र ओमसिंह सिसोदिया दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता संख्या 50/3 की कुल 30.5160 हैक्ट भूमि मे से 8929/244128 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी अपना नाम सवाई सिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर सवाई सिंह सिसोदिया पुत्र ओमसिंह सिसोदिया दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम सवाई सिंह सिसोदिया पुत्र ओमसिंह सिसोदिया अंकित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता संख्या 50/3 की कुल 30.5160 हैक्ट भूमि मे से 8929/244128 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम **सवाई सिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर सवाई सिंह सिसोदिया पुत्र ओमसिंह सिसोदिया का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के नाम सवाई सिंह पुत्र ओमसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सवाई सिंह पुत्र ओमसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सवाई सिंह पुत्र ओमसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 9/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:49 IST
Reason: SelfAttested